न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 09/2017 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2017/00085

उनवान

1. ओमप्रकाश
2. विजय सिंह
3. साहब सिंह
4. नारायण सिंह

पि0 रामदयाल जाति जाटव नि0 हवेली मजरा नोहरदा तहसील रूपवस जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

नैमीचन्द पुत्र श्यामा जाति जाटव निवासी नगला हवेली मजरा नोहरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 03.03.2017 उनवानी ओमप्रकाश बनाम नैमीचन्द मु0न0 182/16

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री जीतेन्द्र कर्दम उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 30.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 03.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम नौहरदा तहसील रूपवास में स्थित है जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अप्रर्थी/रैस्पो0 जोर जबरदस्ती विवादित आराजी के कीमती भाग पर कब्जा करना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चाहते हैं एवं बिना विभाजन एवं बिना स्वीकृति अप्रार्थी/रैस्पो0 ने विवादित आराजी में एक डीप बोर कर दिया है एवं उस पर बिजली कनेक्शन लेकर पक्की कोठरी बनाना चाहते हैं। दिनांक 23.11.2016 को प्रार्थीगण/अपीलांट ने बिना विभाजन कराये विद्युत कनेक्शन कराने से मना करा दिया तो, अप्रार्थी/रैस्पो0 ने एलानियॉ धमकी दी कि वह शीघ्र ही विद्युत कनेक्शन लेकर उस पर पक्की कोठरी बनाऊॅगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। वक्त बहस बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अभिभाषक उपस्थित आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का दावा विचाराधीन है तथा रैस्पो0 विवादित आराजी पर विद्युत कनेक्शन लेकर पक्की कोठरी बनाने पर आमदा हैं जिसका उन्हें कोई हक नहीं है। विभाजन के दावे में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि के कुर्रे प्रस्ताव तैयार होकर आते हैं। यदि रैस्पों0 उक्त विवादित आराजी पर विद्युत कनेक्शन लेने एवं पक्का निर्माण करने में कामयाब हो गये तो, वक्त तैयारी कुर्रे उक्त खसरा नम्बर को अपने कुर्रे में शामिल करवाने हेतु प्रयासरत रहेंगें। रैस्पो0 जिस विवादित आराजी पर विद्युत कनेक्शन एवं पक्की कोठरी बनाने चाहते हैं वह शेष विवादित आराजी से अच्छी व कीमती भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया साबित है कि विवादित भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलाण्ट का तर्क है कि रैस्पो0 विवादित भूमि में से अच्छी भूमि पर डीप बोर लगाकर विद्युत कनेक्शन लेना चाहते हैं। रैस्पो0 इसका खण्डन करते हुये, पूर्व में मनवट के आधार पर विवादित भूमि पर अपना कब्जा काश्त बताते हैं। चूंकि वर्तमान प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य का निस्तारण मूल वाद में साक्ष्यो एवं विधिवत कार्यवाही उपरान्त किया जावेगा। धारा 212 का प्रार्थना पत्र वेस्ट, डमेज, हस्तान्तरण के आधार पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। डीप बोर लगवाना भूमि सुधार की श्रेणी में आता है। वर्तमान में विवादित भूमि पर मनवट के आधार पर कब्जा काश्त रैस्पो0 का होने से, प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन रैस्पो0 के पक्ष में पाया जाता है एवं खातेदार को विद्युत कनेक्शन लेने से रोकने पर अपूर्णनीय क्षति भी रैस्पो0 के पक्ष में होने की संभावना से इंकार नहीं किया

जा सकता है। वैसे भी एक सह–खातेदार दूसरे सह–काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रत्यके सह काश्तकार, प्रत्येक इंच पर काबिज माना जाता है। उपरोक्त विवेचानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

5. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 03.03.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official